राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2448/2023

समय सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त एवं उप सचिव (ii), ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंयायत समिति, राजगढ, अलवर।
4. राजेश कुमार मीणा, सरपंच, ग्राम पंचायत अलाई, पंचायत समिति राजगढ, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पंयायत समिति राजगढ जिला अलवर से पंचायत समिति सरमथुरा, जिला धौलपुर में किया गया है, जिसमें पालना में अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश पारित किये जाने के 8 माह बाद कार्यमुक्त किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक कारणों से किया गया है। वर्तमान में पंचायत समिति राजगढ में रिक्त पद होने के बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 10.10.2016 से कार्यरत है। ऐसे में वर्तमान पद पर अपीलार्थी को समुचित अवधि तक पदस्थापित रखने के बाद अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण आदेश इस तथ्य के आधार पर निरस्तनीय नहीं माना जा सकता है कि स्थानांतरण आदेश पारित किये जाने के काफी समय के पश्चात अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है।

`

4. अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक कारणों से किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा हमारा ध्यान सरपंच ग्राम पंचायत अलेई द्वारा दिये गये पत्र दिनांक 14.09.2023 की ओर आकृष्ट किया है, जिस आधार पर अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण करने के लिए सरपंच ने सिफारिश की थी। हमारे मत में उक्त पत्र दिनांक 14.09.2023 का है, जबकि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2023 के द्वारा किया गया था। ऐसे में यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजनैतिक कारणों से किया गया है।

5. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> "In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)